चमन लाल महाविद्यालय
(स्वायत्त)

(अशासकीय सहायता प्राप्त संस्था)

लंढौरा जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

(श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल, टिहरी-गढ़वाल से सम्बद्ध)

CHAMAN LAL MAHAVIDYALAYA
Landhaura, Haridwar (UK)
तमसो मा ज्योतिर्गमय

ACCREDITED WITH GRADE
B+
NAAC

विवरणिका
Prospectus
Session 2025-26

हमारे प्रेरणा पुँज

पुण्यात्मा कीर्तिशेष पं. चमन लाल शर्मा

विवरणिका

2025-2026

तमसो मा ज्योतिर्गमय

चमन लाल महाविद्यालय
(स्वायत्त)

लंढौरा, जनपद हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सम्बद्ध–श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

बादशाही थौल, नई टिहरी (गढ़वाल) उत्तराखण्ड–249149

एवं उत्तराखण्ड संस्कृत महाविद्यालय, हरिद्वार

पं. ईश्वर चन्द शर्मा (महाविद्यालय के संस्थापक)

श्री अरुण कुमार हरित

(सचिव, प्रबन्ध समिति)

श्री अतुल हरित

(कोषाध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)

पं. रामकुमार शर्मा

(अध्यक्ष, प्रबन्ध समिति)

किसी समाज एवं राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। सही शिक्षा एवं सच्चे संस्कार ही युवाओं को अपने राष्ट्र एवं समाज के लिए दृढ़ता से खड़ा होने का बल प्रदान करती है। शिक्षा प्राप्त किए बिना कोई व्यक्ति अपनी परम ऊँचाइयों को नहीं छू सकता। शिक्षा का सीधा संबंध मनुष्य के मस्तिष्क एवं आत्मा दोनों से है। अर्थात् शिक्षा हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के साथ जुड़ी हैं। इस विचार को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों के चारित्रिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास पर बल देता है। महाविद्यालय का उद्देश्य एवं सतत् प्रयास है कि हम ऐसे चरित्रवान नागरिक तैयार करें, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपने दायित्व का निर्वहन कर राष्ट्र की उन्नति में सहायक हो सकें।

ग्रामीण परिवेश में स्थापित यह महाविद्यालय युवाओं का चतुर्दिक विकास करेगा, इस आशा के साथ सभी अभिभावकों एवं छात्र–छात्राओं से राष्ट्र निर्माण के इस यज्ञ में सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। हम सभी कीर्तिशेष पं. चमन लाल शर्मा जी के जीवन–आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस अखण्ड यात्रा के सभी सहयोगी शुभचिन्तकों, प्रबंध समिति के समस्त पदाधिकारी गण, प्राचार्य, शिक्षकवृंद एवं कर्मचारी सुदूर लक्ष्यों के लिए कार्य करेंगे, ऐसी कामना है।

नवागत प्रवेशार्थियों के लिए शुभकामनाओं सहित।

शिक्षा में नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें

शिक्षा केवल सूचनाओं का संग्रहण नहीं है। शिक्षा साक्षरता का पर्याय मात्र भी नहीं, शिक्षा केवल उपाधियों–पदवियों का विवरण अथवा एकीकरण नहीं, अपितु वह कर्म कुशलता और कार्य क्षमता में वृद्धि का पर्याय है, वह करणीय–अकरणीय का बोध है, चरित्र बल का सोपान है तथा जीवन जीने की कला का ज्ञान है।

सतत् परिवर्तनशील समय में शिक्षा प्राप्ति के साधनों एवं प्रक्रियाओं में व्यापक परिवर्तन आए हैं। विगत वर्षों में कोरोना महामारी के प्रभाव ने शिक्षा प्राप्ति की प्रक्रिया, व्यवस्था और साधनों में अमूल–चूल परिवर्तन किया है। शिक्षण प्रशिक्षण में नई तकनीक का हस्तक्षेप निरंतर बढ़ रहा है। यह हम सब का साझा दायित्व है कि शिक्षा के अखंड उद्देश्यों के लिए नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करें। उल्लेखनीय है कि पं. ईश्वर चंद शर्मा और उनके सुपुत्र–द्वय श्री राम कुमार शर्मा एवं श्री अरुण हरित के सत्प्रयासों से चमन लाल महाविद्यालय की स्थापना हुई। विगत वर्षो में महाविद्यालय ने संख्यात्मक एवं गुणात्मक, दोनों दृष्टियों से उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह गौरव का विषय है कि इस वर्ष महाविद्यालय के कई छात्रों ने UGC-NET में सफलता प्राप्त की और कई छात्र–छात्राएँ यूनिवर्सिटी टॉपर बने।

चमन लाल महाविद्यालय उत्तराखण्ड राज्य का पहला ऐसा अनुदानित महाविद्यालय है जिसे यू.जी.सी. द्वारा स्वायत्तता का स्तर प्रदान किया गया। यह हम सभी के लिए गौरवमयी उपलब्धि है। उत्कृष्ट पढ़ाई, उत्कृष्ट परिणाम और समग्र व्यक्तित्व निर्माण के लक्ष्य के साथ महाविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और सहयोगी स्टाफ निरंतर प्रयासरत है। हम सभी शिक्षा के माध्यम से जीवन निर्माण के इस अभियान में छात्र–छात्राओं और उनके अभिभावकों की सहभागिता का आह्वान करते हैं कि इस सतत् यात्रा का हिस्सा बनिए।

"भवतु सब्ब मंगलम्।"

(डॉ. सुशील उपाध्याय)

प्राचार्य

महाविद्यालय प्रबन्ध समिति

पं. राम कुमार शर्मा	अध्यक्ष
पं. ईश्वर चन्द शर्मा	उपाध्यक्ष
श्री अरुण कुमार हरित	सचिव
श्रीमती अर्चना शर्मा	उप सचिव
श्री अतुल हरित	कोषाध्यक्ष
डॉ. सुशील उपाध्याय	प्राचार्य, पदेन सदस्य
डॉ. मौ. इमरान	शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
डॉ. ऋचा चौहान	शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य
श्री विशाल कुमार	गैर शिक्षक प्रतिनिधि, सदस्य

संक्षिप्त परिचय

समाज के हित में सर्वस्व अर्पण करने की प्रेरणा से भगवानपुर चन्दनपुर निवासी पं. ईश्वर चन्द शर्मा जी और पं. रामकुमार शर्मा ने लंढौरा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में रहने वाले छात्र–छात्राओं की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए चमन लाल एजुकेशनल ट्रस्ट की स्थापना की। आपने शिक्षा की असाधारण महत्ता को पहचान कर चमन लाल महाविद्यालय लंढौरा (हरिद्वार) के रूप में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित महाविद्यालय की स्थापना कर इस क्षेत्र की जनता के लिये उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल दिये।

चमन लाल महाविद्यालय श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाही थौल, टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड से सम्बद्धता प्राप्त है एवं विश्वविद्यालय सम्बद्धता क्रम में प्रथम है। महाविद्यालय में बी.ए.,हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति– विज्ञान, इतिहास, चित्रकला, गृह विज्ञान, भूगोल तथा बी.एससी. (गृह विज्ञान) बी.एससी. भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, सूक्ष्मजीव विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, कम्प्यूटर साइंस बी.कॉम. (सी.एफ.ए / नॉन.सी.एफ.ए.) बी.एससी. (कृषि), बी.कॉम. (ऑनर्स), बी. लिब. पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। 20 विषयों में स्नातकोत्तर कक्षाएं श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड बादशाही थौल द्वारा सम्बद्ध एवं संचालित हैं तथा एम.ए. (पत्रकारिता), एम.ए. (योग), पी.जी. डिप्लोमा (योग) की कक्षाएं उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार से सम्बद्ध एवं संचालित की जा रही हैं। छात्रों के व्यक्तित्व विकास को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण सत्र में शिक्षण के साथ–साथ संगोष्ठी, परियोजना कार्य, क्षेत्र आधारित गतिविधियां, विशिष्ट व्याख्यान, स्मृति व्याख्यान एवं कार्यशालाएँ नियमित रूप से आयोजित किये जाते हैं।

Vision

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं का सर्वांगीण विकास करना तथा उच्च शिक्षा के प्रमुख संस्थान (केन्द्र) के रूप में विकसित होना।

Mission

- छात्र–छात्राओं के बौद्धिक, शारीरिक एवं नैतिक विकास हेतु बाधा रहित समग्र शैक्षिक वातावरण का निर्माण करना।
- राष्ट्र के सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्यों के अनुरूप शिक्षण–प्रशिक्षण को नियोजित करना/उक्त के अनुरूप शैक्षिक एवं शिक्षण सम्बंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
- कैरियर उन्मुख कार्यक्रमों एवं आयोजनों के माध्यम से छात्र/छात्राओं की दक्षता और भविष्यपरक कौशलों में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाना।
- तीव्र प्रौद्योगिकी/तकनीकी विकास के दृष्टिगत ई–लर्निंग को बढ़ावा देते हुए तत्सम्बंधी अवसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना।
- शैक्षिक विषयों के दार्शनिक–सैद्धान्तिक पक्ष के साथ व्यावसायिक एवं जीवन प्रयत्न कौशलों की प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण करना।
- लैंगिक समानता, धार्मिक–सांस्कृतिक एकीकरण, विविधता के संवर्धन के दृष्टिगत सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं को आगे बढ़ने के समान अवसर उपलब्ध कराना।

Core Value

1. नई पीढ़ी में ज्ञान प्राप्ति के साथ–साथ सूचना साक्षरता, कैरियर उन्नति, व्यक्तिगत समृद्धि, नेतृत्व और सेवा के लिए आवश्यक कौशल का विकास।
2. छात्र–छात्राओं में नैतिक व्यवहार के साथ–साथ जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध।
3. व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने के लिए रचनात्मकता और अभिनव दृष्टिकोण को अत्यधिक प्रोत्साहन।
4. विविधता को एक मूल्य के रूप में प्रोत्साहन और विविधता के माध्यम से समता एवं समावेशिता को बढाना।
5. वैयक्तिक आत्मविश्वास के साथ समग्र उत्कृश्टता को प्रोत्साहन।

महाविद्यालय के गौरव

01	विपिन कुमार	2016–17	B.Sc.	University Silver Medal
02	शांकुल कुमार सैनी	2016–17	B.Sc.	University Gold Medal
03	अम्बर सुल्ताना	2016–17	B.A.	University Gold Medal
04	आयरीन	2016–17	B.A.	University Silver Medal
05	तफसीर जहरा	2016–17	B.Com	University Gold Medal
06	बिलाल साबरी	2016–17	B.Com	University Silver Medal
07	सहराज बानो	2017–18	B.A.	University Gold Medal
08	आरूषी	2019–20	Yoga	NET
09	निशा राठी	2020–21	Chemistry	GATE
10	विजय प्रकाश	2020–21	Geography	JRF
11	धर्मवीर शर्मा	2020–21	Yoga	JRF
12	शिवांक शर्मा	2020–21	History	JRF
13	मौ. साकिब उमर	2020–21	Chemistry	JAM
14	शिव अवतार	2020–21	Lib Sci.	University Gold Medal
15	गरिमा पंत	2020–21	Lib Sci.	University Gold Medal
16	सलोनी	2020–21	Hindi	University Gold Medal
17	अंकित कुमार	2022–23	Botany	JAM
18	शिव अवतार	2022–23	Lib Sci.	NET
19	रजनी देवी	2022–23	Home Sci.	JRF
20	अंजली चौधरी	2023–24	Home Sci.	University Gold Medal
21	शिवानी चौधरी	2023–24	Home Sci.	University Gold Medal
22	रीता	2023–24	Lib Sci.	NET / SET
23	नेहा	2023–24	Lib Sci.	University Topper
24	वैशाली पुण्डीर	2023–24	Lib Sci.	University Topper
25	जोगिंदर कुमार	2023–24	Sociology	NET
26	निशा कंचन	2023–24	Drawing	University Topper
27	तन्नू सिंह	2024–25	History	NET Qualified for Ph.D.
28	शिवांक शर्मा	2024–25	History	JRF
29	कामेश्वर धीमान	2024–25	Pol. Sc.	NET Qualified for Ph.D.
30	सौम्या थरेजा	2024–25	Yoga	NET
31	मनीष शर्मा	2024–25	Yoga	NET
32	आर्यन सिंह	2024–25	Yoga	NET
33	दीपा रानी	2024–25	Sanskrit	NET

Academic Calendar for the Session 2025-2026
(Common for all Conventional and Professional Courses)

Odd Semester		
S.No.	**Particulars**	**Dates**
1	Inviting online applications for the admissions to courses where the eligibility is Intermediate (UG)	30'h April 2025 (subject to the declaration of intermediate result)
2	Last date for admission Registration to courses (UG)	31-05-2025
3	Duration for Counseling and finalizing admissions for the first semester (UG) including Collection of admission and exam fees.	01-06-2025 to 20-06-2025
4	Duration of Summer Break	21-06-2025 to 10-07-2025
5	Inviting online applications for the admissions (PG)	01-07-2025 (subject to the declaration of Graduation result)
6	Student Induction Programme for UG students	11-07-2025 to12-07-2025
7	Commencement of teaching work for students admitted in all odd semester (UG) and PG(III)	13-07-2025
8	Collection of admission and exam fees admitted in all intermediary UG and PG semesters	13-07-2025 to 25-07-2025
9	Last date for admission Registration to courses (PG)	13-07-2025
10	Duration for finalizing admissions for the first semester (PG) including collection of admission and exam fees.	I5-07-2025 to 20-07-2025
11	Commencement of teaching w ork for students admitted in first semester (PG)	22-07- 2025
13	Marks of Internal Assessment should be uploaded on the portal before for UG	14-11- 2025
14	Duration for First Semester Examination (UG) and all intermediary UG and PG semesters	09-11-2025 to 04-12-2025
16	Last date for uploading of Internal Assessment marks of PG on the portal.	23-11-2025
17	Duration for First Semester Examinations (PG)	21-11-2025 to 14-12-2025
21	Duration of Winter Break	वि.वि. के आदेशानुसार 01-01-2025 to 20-01-2025
Even Semester		
23	Commencement of teaching work for the Even Semester	21-01-2026
25	Duration of Even Semester Examinations	11-05-2026 to 05-06-2026
27	Duration of Summer Break	वि.वि. के आदेशानुसार

आचार-संहिता

छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दो या अधिक छात्रों अथवा समूह में कृत निम्नलिखित गतिविधियाँ अनुशासनहीनता एवं दुर्व्यवहार समझा जायेगा।

1. परिसर में किसी शिक्षक, कर्मचारी, छात्र आगन्तुक पर शारीरिक प्रहार, शारीरिक बल प्रयोग की धमकी या अन्य धमकाने वाला व्यवहार।
2. किसी भी रूप में शिक्षण एवं अन्य शैक्षिक कार्यों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं के कार्यकलापों, प्रवेश एवं परीक्षा प्रक्रियाओं तथा प्रशासनिक कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा पहुँचाना।
3. उत्तरदायी अधिकारी की अनुमति के बिना महाविद्यालय परिसर में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग।
4. महाविद्यालय द्वारा अपने परिसर में या अन्य आयोजित किसी शैक्षिक परिभ्रमण अथवा शिक्षण, शिक्षणोत्तर अथवा साहित्यिक, सांस्कृतिक अथवा अन्य समकक्ष कार्यक्रम में अनुचित व्यवहार।
5. उपखण्ड चार में उल्लिखित किसी कार्यक्रम के रैफरियों, एम्पायरों या निर्णायकों के निर्णय का अनुपालन न करना अथवा विरोध करना।
6. महाविद्यालय की व्यवस्था के किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाले कृत्य व वक्तव्य अथवा किसी साहित्य या दस्तावेज (जिनमें पत्रावलियां, पैम्फ्लेट, पोस्टर, प्रेस अधिसूचनाएं आदि सम्मिलित हैं) का प्रदर्शन एवं वितरण।
7. आपत्तिजनक वस्तुओं एवं पदार्थों का रखना एवं वितरण करना।
8. ऐसा कोई कृत्य जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के मध्य मनमुटाव अथवा धार्मिक, सामाजिक, क्षेत्रीय अथवा भाषायी आधार पर असहिष्णुता उत्पन्न करता हो अथवा उसका कारण बन सकता हो।
9. कोई कृत्य जो महाविद्यालय के परिनियमों, अध्यादेशों अथवा उपनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों की अवहेलना करता हो।
10. किसी शस्त्र के रखने प्रदर्शन करने अथवा उससे धमकाने।
11. कोई कृत्य जो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रभावित करता हो अथवा अन्य व्यक्तियों की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाता हो अथवा शारीरिक हिंसा करता हो अथवा अभद्र भाषा प्रयोग हो।
12. नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 की अवहेलना।
13. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित छात्रों की प्रतिष्ठा अथवा सम्मान की कोई अवहेलना।
14. महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार अथवा यौन उत्पीड़न सम्बंधी कोई मौखिक अथवा अन्य कृत्य या व्यवहार।
15. किसी भी रूप में रिश्वत देने का कोई प्रयास अथवा अन्य कोई भ्रष्ट आचरण।
16. कोई ऐसा कृत्य जो महाविद्यालय व्यवस्था के किसी संस्थान अथवा उसकी इकाई की सम्पत्ति को कोई क्षति पहुंचाता हो अथवा उसे नष्ट करता हो अथवा उसके मूल रूप को भ्रष्ट करता हो।
17. अनधिकृत रूप से पैसा एकत्र करना।
18. मदिरा अथवा अन्य मादक द्रव्य रखने, वितरित करने अथवा सेवन करने या सेवन करने के उपरान्त महाविद्यालय में प्रविष्ट होना।
19. नैतिक अधमता सदृश्य कोई कृत्य।
20. कोई अन्य कृत्य जो महाविद्यालय अथवा महाविद्यालय व्यवस्था की किसी इकाई के अधिकारियों अथवा कार्य करने के अभिमत में एक छात्र के रूप में अनुचित हो।
21. रैगिंग करने संबंधी अथवा उसमें लिप्त होने संबंधी कोई कृत्य।

आवश्यक निर्देश

प्रवेशार्थी प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र भरने से पूर्व महाविद्यालय विवरणिका में दिये गए सभी निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा उनका अनुपालन करें।

1. महाविद्यालय में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। कोई भी महिला कार्मिक अथवा छात्रा किसी भी अभद्र व्यवहार के मामले में प्रकोष्ठ से सहायता प्राप्त कर सकती है। यदि शिकायतकर्ता चाहे तो उसकी पहचान गोपनीय रखी जायेगी।
2. महाविद्यालय में एण्टी रैगिंग कमेटी का गठन किया गया है, यदि कोई रैगिंग करता पकड़ा गया तो उसके विरूद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी।
3. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार किसी भी छात्र/छात्रा की कक्षा में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है। अन्यथा की स्थिति में छात्र/छात्रा को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का होगा।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्राचार्य द्वारा प्रवेश समिति अथवा अनुशासन समिति की संस्तुति पर किसी छात्र/छात्रा का प्रवेश बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं या प्रवेश देने हेतु मना कर सकते हैं।
5. कोई भी छात्र/छात्रा महाविद्यालय में किसी भी कार्य के लिए क्यों न आया हो, महाविद्यालय वेशभूषा में आना अनिवार्य है।
6. महाविद्यालय की किसी भी सामग्री जैसे पुस्तक, प्रयोगशाला की सामग्री, कम्प्यूटर, फर्नीचर आदि को हानि पहुंचाने पर अर्थदण्ड सम्भव है। कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
7. महाविद्यालय में किसी भी प्रकार का धूम्रपान एवं पान मसाला निषेध है। इनका सेवन करते पाये जाने पर अर्थदण्ड वसूला जा सकता है संबंधित के विरूद्ध निष्कासन की कार्रवाई भी संभव है।
8. महाविद्यालय में अपने वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें अन्यथा की स्थिति में वाहन की सुरक्षा महाविद्यालय की नहीं होगी।
9. परीक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के समय तात्कालिक नियम बनाये जाते हैं, उनका अनुपालन अनिवार्य है।
10. कोई भी छात्र/छात्रा किसी दूसरे छात्र/छात्रा पर धर्म एवं जाति संबंधी टीका टिप्पणी न करें। ऐसा करना कानूनी अपराध हो सकता है।
11. सभी छात्र-छात्राएं महाविद्यालय से प्राप्त परिचय पत्र अपने साथ रखें। यह कभी भी मांगा जा सकता है।
12. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने हेतु छात्र-छात्राओं के लिए अलग अलग दिन निर्धारित किये गये हैं। निर्धारित दिन में अपनी पुस्तकें निर्गत आगत करवायें। पुस्तकें निर्धारित अवधि में जमा कराया जाना अनिवार्य है।
13. छात्र-छात्राएँ अपनी कक्षा समाप्त हो जाने के उपरान्त इधर-उधर न घूमें।

14. छात्राओं के लिए भवन की पूर्वी सीढ़ियों एवं छात्रों के लिए पश्चिमी सीढ़ियों को निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीढ़ियों का ही प्रयोग किया जाए।

15. प्रबंध समिति एवं प्राचार्य कक्ष में प्रवेश करते समय अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लें। अनुमति के बाद ही प्रवेश करें।

16. शिक्षकों एवं कार्मिको के प्रति छात्र–छात्राओं का व्यवहार सम्मानजनक होना चाहिए। अभद्र व्यवहार की स्थिति में तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

17. महाविद्यालय में किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है।

18. निर्धारित कार्मिक के अलावा किसी भी व्यक्ति को शुल्क आदि न दें। महाविद्यालय की ओर से शुल्क आदि प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को अधिकृत नहीं किया गया है।

19. किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र लेकर सीधे प्रबंध समिति/प्राचार्य कक्ष में प्रवेश न करें। संबंधित शिक्षक/कार्यालय के माध्यम से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाए।

20. सभी छात्र एवं पुरूष कार्मिक छात्राओं एवं महिला कार्मिकों के साथ व्यवहार में मर्यादा का पालन करेंगे। अमर्यादित व्यवहार स्वीकार्य नहीं होगा।

21. महाविद्यालय द्वारा किसी कारण से प्रवेश निरस्त करने के बाद शुल्क वापिस नहीं होगा।

22. किसी भी प्रकार का धन जो आपने महाविद्यालय में जमा किया है, उसकी रसीद तुरन्त अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित काउंटर की बजाए अन्यत्र या अनाधिकृत व्यक्ति को शुल्क देने पर छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे।

23. प्रवेश की तिथि से 30 दिन पश्चात शुल्क वापसी के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

अभिभावकों के लिए

यदि आपका पुत्र/पुत्री किसी शारीरिक अथवा मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो महाविद्यालय में प्रवेश के समय संबंधित जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं ताकि किसी आकस्मिक/गंभीर स्थिति में चिकित्सा उपलब्ध कराई जा सके।

एण्टी रैगिंग

महाविद्यालय में रैगिंग की समस्या के नियन्त्रण हेतु मा. सुप्रीम कोर्ट एवं यू. जी. सी. के नियमों को सख्ती से लागू किया गया है। रैगिंग में पकड़े जाने पर निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है–

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा से निलम्बन।
3. छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
4. किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
5. किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्था अथवा युवा महोत्सव में प्रतिनिधित्व करने से रोकना।
6. संस्थान से निष्कासन एवं तदोपरान्त अन्य किसी संस्था में प्रवेश से वंचित किया जाना।
7. रू. 25 हजार तक का जुर्माना।
8. जब रैगिंग का अपराध करने वाले व्यक्तियों को न पहचाना जाये तब सम्भावित रैगिंग कर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्था सामूहिक दण्ड का प्रयोग करेगी।

नोटः छात्र/छात्रा एण्टी रैगिंग का फार्म भरकर आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करा दें। एण्टी रैगिंग फार्म हेतु नीचे दिये गये लिंक पर क्लिक करें।

https://antiragging.in
National antiragging Helpline (UGC crisis hotline)
Toll free Number 1800-180-5522
(helpline@antiragging.in)

पाठ्येत्तर विकासोन्मुखी गतिविधियाँ

पुस्तकालय

महाविद्यालय में लगभग 11000 पुस्तकों का समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध है जो कि प्रातः 09:00 से सायं 05:00 बजे तक खुला रहता है। पुस्तकालय में हिन्दी, अंग्रेजी के सभी प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। अनुशासन के दृष्टिकोण से पुस्तकालय में छात्र–छात्राओं के लिये अलग–अलग वाचनालय (रीडिंग रूम) की व्यवस्था की गई है। सभी छात्र–छात्राएं इस व्यवस्था का पालन करेंगे।

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्र–छात्राओं को पुस्तकालय कार्ड बनवाना आवश्यक है।
2. पुस्तकालय कार्ड प्राप्त करने के लिए प्रवेश प्राप्ति की रसीद तथा परिचय–पत्र पुस्तकालयाध्यक्ष / पुस्तकालय प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
3. प्रत्येक छात्र–छात्रा एक समय में प्राप्त पुस्तक अधिकतम 14 दिन तक अपने पास रख सकता है। तत्पश्चात् 5 /– रूपये प्रतिदिन की दर से जुर्माना देना होगा। जुर्माने की अधिकतम राशि पर प्राचार्य द्वारा विचार कर निर्णय लिया जा सकेगा। यदि पुस्तक वापसी के दिन अवकाश हो तो आगामी दिवस को निर्धारित वापसी का दिवस माना जायेगा।
4. पुस्तकालय संदर्भ ग्रंथ, पत्र–पत्रिकाओं एवं समाचार–पत्रों को पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है।
5. पुस्तक खो जाने, फट जाने या नष्ट हो जाने की स्थिति में पुस्तकालयाध्यक्ष की संस्तुति पर प्राचार्य की अनुमति लेकर पुस्तक की नई प्रति अथवा उसकी वर्तमान कीमत जमा करनी होगी।
6. वापस की गयी पुस्तक उसी दिन वितरित नहीं की जायेगी।
7. परीक्षा प्रवेश पत्र लेने से पूर्व सभी पुस्तकें वापस कर पुस्तकालयाध्यक्ष से अदेय (नो–डॅयूज) प्रमाण–पत्र लेना होगा।
8. पुस्तकालय सम्बन्धी किसी भी मामले में पुस्तकालयाध्यक्ष तथा प्राचार्य का निर्णय अन्तिम होगा।

प्रयोगशाला

महाविद्यालय में प्रयोगात्मक कार्य के लिए सभी आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित सभी विषयों की प्रयोगशालाएं हैं। जहां पर विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक कार्य करने की सम्पूर्ण सुविधा प्राप्त है। प्रयोग करते समय छात्र–छात्राओं को उपकरणों तथा अन्य सामान का उपयोग सावधानी से करना चाहिए। समयानुसार प्रयोगशाला सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। लापरवाही से किये गये कार्य या प्राध्यापक की अनुमति के बिना प्रयोगशाला में प्रवेश दण्डनीय होगा। रासायनिक प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक कार्यों के लिए प्रत्येक छात्र–छात्रा को गैस लैम्प की सुविधा उपलब्ध

है। प्रयोगशाला उपकरणों की हानि के लिए उत्तरदायी छात्र–छात्रा से उपकरण के मूल्य के समान धनराशि वसूल की जाएगी।

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.)

महाविद्यालय में मेधावी छात्र / छात्राओं के लिए एन.सी.सी. यूनिट उपलब्ध हैं। योग्यता के आधार पर छात्र – छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। विगत वर्षों में एन.सी.सी. के कैडिटों ने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाई संचालित हैं। छात्र–छात्राओं के सर्वांगीण विकास में एन.एस.एस. महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

रोवर्स/रेंजर्स

महाविद्यालय में हिन्दुस्तान स्काउट / गाइड के अन्तर्गत महाविद्यालय को रोवर्स / रेंजर्स की दो यूनिट की मान्यता प्राप्त है। जिसमें प्रत्येक सत्र में (निपुण / प्रवीण) शिविर का आयोजन भी किया गया।

अनुशासन-समिति

महाविद्यालय में अनुशासन बनाएं रखने, विद्यार्थियों को आवश्यक दिशा–निर्देश देने अभिभावकों / संरक्षकों के साथ आवश्यक तालमेल की दृष्टि से अनुशासन–समिति अनुशासनात्मक गतिविधियों का संचालन करती है। समस्त विद्यार्थियों के परिचय–पत्र प्रभारी, अनुशासन समिति द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए तथा छात्र–छात्रायें परिचय–पत्र तैयार कर प्रॉक्टोरियल बोर्ड से पूरा कराकर हमेशा अपने साथ रखें।

एण्टी रैगिंग सेल

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुरूप महाविद्यालय में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबन्धित है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रैगिंग को दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। महाविद्यालय परिसर एवं छात्रावास में रैगिंग की गतिविधियों पर निगरानी एवं रोक लगाने हेतु एन्टी रैगिंग स्कवॉड का गठन किया गया है। प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र–छात्रा वं अभिभावक / संरक्षक द्वारा अलग–अलग दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में प्रत्येक श्रेणी अर्थात् छात्राओं के रूप में तथा शिक्षक एवं कर्मचारी के रूप में महिलायें कार्यरत हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों अनुपालन में महाविद्यालय में स्वस्थ परिवेश के निर्माण हेतु तथा महिला उत्पीड़न निवारण समिति गठित है। जिसका प्रयत्न ऐसे वातावरण का निर्माण करना है, जिसमें प्रत्येक महिला शिक्षक,

कर्मचारी एवं विद्यार्थी पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से मुक्त होकर अपना कार्य कर सकें।

खेल-कूद समिति

छात्र–छात्राओं के नैतिक तथा शारीरिक विकास के लिए खेल–कूद आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कॉलेज में खेल–कूद संचालित करने के लिए एक समिति गठित की गई है जो खेलकूद सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरा कराती है। हर प्रकार के खेल का अभ्यास व संचालन खेल समिति के माध्यम से वर्ष भर होता है। कुशल खिलाड़ियों को प्रमाण–पत्र तथा पारितोषिक दिए जाते हैं। कॉलेज की टीमें विश्वविद्यालय स्तर पर भी प्रतिभाग करती हैं।

सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति

छात्र–छात्राओं के नैतिक तथा रचनात्मक विकास के लिए वाद–विवाद, निबन्ध प्रतियोगिता, कविता तथा काव्य पाठ आदि में सभी को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं। समिति छात्र / छात्राओं की आन्तरिक प्रतिभाओं को उभारने के लिए कृत संकल्प है। छात्र–छात्राओं को प्रतिभा प्रदर्शन एवं बहुमुखी विकास के लिए यथासम्भव सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

शिक्षक-अभिभावक संघ

महाविद्यालय के छात्र–छात्राओं के बहुमुखी विकास हेतु छात्र–छात्राओं के अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक संघ का गठन किया गया है ताकि छात्र–छात्राओं के भविष्य को लेकर अभिभावकों की अपेक्षा के अनुसार छात्र–छात्राओं की कैरियर काउंसलिंग की जा सके। संघ का उद्देश्य छात्र–छात्राओं एवं अभिभावकों की शैक्षिक समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का समाधान करना भी है।

निर्धन एवं मेधावी (मेंटरशिप एवं इंस्पायर ग्रुप) छात्र/छात्रा कल्याण समिति

छात्र–छात्राओं की समस्याओं के समाधान एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु महाविद्यालय में छात्र कल्याण समिति कार्यरत है। इससे विद्यार्थी रोजगार जिज्ञासा, आर्थिक सहायता व अन्य आवश्यक मार्ग–निर्देशन प्राप्त कर लाभान्वित होते है।

डिस्पेंसरी

महाविद्यालय में सत्र 2017–18 से डिस्पेंसरी भी आरम्भ की गई है। डिस्पेंसरी में प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित सभी उपकरण एवं आवश्यक दवाएं उपलब्ध है। डिस्पेंसरी के माध्यम से शिक्षकों, कार्मिकों एंव छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य की नियमित जांच भी की जाती हैं एवं स्वास्थ्य शिविर आयोजित किये जाते हैं।

महाविद्यालय पत्रिका

महाविद्यालय पत्रिका 'चमन संदेश' का प्रकाशन प्रति वर्ष किया जाता है,जिससे छात्र–छात्राओं की लेखन प्रतिभा एवं आत्माभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। विगत वर्षों से निरतंर पत्रिका के विशेषांक प्रकाशित किये जा रहे हैं। पत्रिका को ISBN क्रमांक प्राप्त है।

कम्प्यूटर लैब

वर्तमान में कम्प्यूटर आधारित अध्ययन का महत्व दिन–प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है एवं जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता महसूस की जा रही है। महाविद्यालय में इंटरनेट कनेक्शन सहित सुसज्जित कम्प्यूटर प्रयोगशाला स्थापित की गयी है। समयानुसार कम्प्यूटर लैब सहायक तथा तत्सम्बन्धी प्राध्यापक से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर छात्र–छात्राएँ प्रयोगशाला का प्रयोग कर सकते हैं।

आन्तरिक गुणवत्ता संवर्द्धन प्रकोष्ठ (IQAC)

महाविद्यालय में आन्तरिक गुणवत्ता युक्त शिक्षा के लिए मार्गदर्शन, सुझाव, नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी के उद्देश्य से इस प्रकोष्ठ का गठन किया गया। है यह प्रकोष्ठ वर्ष 2018–19 से क्रियाशील है। प्रकोष्ठ द्वारा महाविद्यालय के आगामी 5 एवं 10 वर्ष के विकास हेतु कार्ययोजना तैयार की गई है। प्रकोष्ठ द्वारा NAAC मूल्यांकन संबंधी गतिविधियों का समन्वय किया जाता है।

महाविद्यालय द्वारा उत्तराखण्ड के मूल निवासी विद्यार्थियों को निम्न प्रकार छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है –

अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति/अल्पसंख्यक/विकलांग छात्र–छात्राओं को समाज कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा छात्रवृत्ति दी जाती है। समय–समय पर शासनादेशों के अनुसार ही उक्त छात्रवृत्तियों का वितरण किया जाता है। इसके लिए विद्यार्थियों को निर्धारित आवेदन–पत्र पर वांछित प्रमाण–पत्रों सहित सभी आवश्यक औपचारिकताएँ पूर्ण करनी पड़ती है। छात्रवृत्ति सम्बंधी निर्देशों को नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जाता है। लाभान्वित होने हेतु विद्यार्थियों से अपेक्षा है कि वे इन निर्देशों की जानकारी रखें। आरक्षित वर्ग से इतर मेधावी छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। आर्थिक रुप से निर्धन छात्र/छात्राओं हेतु महाविद्यालय में निर्धन छात्रवृति का प्रावधान है।

निर्धन छात्र कोष

निर्धन छात्र कोष से प्रति वर्ष छात्रों को आर्थिक सहायता नियमानुसार वितरित की जाती है। इच्छुक छात्र/छात्रा नोटिस बोर्ड पर लगी सूचना के अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ आवेदन कर सकते/सकती हैं।

नई शिक्षा नीति के निर्देश

उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्देशित एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत नवीन पाठ्यक्रम संरचना एवं न्यूनतम समान पाठ्यक्रमों को वर्तमान सत्र 2022–23 से लागू करने हेतु सामान्य दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के अनुरूप न्यूनतम समान पाठ्यक्रम शैक्षिसक यत्र 2022–23 से लागू किए जाने के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–1196/XXIV-C-4/2021-01(06)/2019, दिनांक 08 अक्टूबर 2021 के क्रम में श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के परिसर एवं समस्त संबद्ध महाविद्यालयों हेतु जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रस्तावित प्रारूप पर श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी द्वारा गठित समिति द्वारा शैक्षिक सत्र 2022–23 के लिए स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश एवं अन्य संबंधित विषयगत बिन्दुओं के सन्दर्भ में दिशा–निर्देश प्रस्तावित किये गये हैं। सामयिक आवश्यकता तथा शासकीय निर्देशों के अनुसार भविष्य में इस दिशा–निर्देश का संशोधित प्रारूप भी जारी किया जा सकता है अथवा किसी मामले में अलग से अधिसूचना जारी की जा सकती है।

विश्वविद्यालय परिसर तथा क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों/संस्थानों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनरूप तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को निम्नानुसार लागू करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे :

- तीन विषय वाले सभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों (बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.आदि) में च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2022–23 से लागू है।
- स्नातक (शोध सहित) बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम.आदि एवं स्नाक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों मे च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू है।
- बी.ए. आनर्स, बी.एस.सी. आनस, बी.कॉम. आनर्स इत्यादि एवं अन्य एकल विषय स्नातक कार्यक्रमों में च्वाइस बेस्ट क्रेडिट सिस्टम (CBCS) आधारित नवीन पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र 2023–24 से लागू है।
- स्नातक/स्नातकोत्तर के समस्त पाठ्यक्रमों में सत्र 2021–22 तक प्रवेशित छात्रों पर उनके उपाधि प्राप्त करने तक यह नए नियम लागू नहीं होंगे अर्थात पूर्व में अध्ययनरत विद्यार्थियों पर यह दिशा–निर्देश प्रभावी नहीं होंगे।

2- i kB ;Øe

स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के लिए 46 संचित क्रेडिट के सापेक्ष तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम एवं दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Certificate in Faculty प्रदान किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष 92 क्रेडिट संचित के सापेक्ष द्वितीय वर्ष में तीन प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एव एक इलेक्टिव) विषय, एक माइनर इलेक्टिव पेपर, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो व्यवसायिक पाठ्यक्रम होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Diplom a in Faculty प्रदान किया जायेगा।

तृतीय वर्ष तक 132 संचित क्रेडिट के सापेक्ष इस वर्ष में दो प्रमुख/मेजर विषय (दो कोर एवं एक इलेक्टिव) विषय, दो सह–पाठ्यक्रम तथा दो माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट होंगे, जिसे उत्तीर्ण करने पर Bachelor in Faculty की उपाधि प्रदान की जायेगी।

विद्यार्थी को सफलतापूर्वक एक वर्ष पूर्ण करने पर सर्टिफिकेट के साथ निकास तथा दो वर्ष पूर्ण करने पर डिप्लोमा के साथ निकास की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी को निर्गत प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा पर उनके द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त रोजगार परक पाठ्यक्रम का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। विद्यार्थी को सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर ही स्नातक की उपाधि प्राप्त होगी। विद्यार्थी निकास के पश्चात् अगले स्तर पर पुनः प्रवेश ले सकेगा किन्तु प्रवेश लेने पर उसे अपना सर्टिफिकेट/डिप्लोमा विश्वविद्यालय में जमा करना होगा। साथ ही पूर्व पात्रता के आधार पर विद्यार्थी को द्वितीय वर्ष में विषय परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध होगी।

विद्यार्थी संकाय में सफलतापूर्वक तीन वर्ष पूर्ण करने पर न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी में उसे स्नातक की उपाधि प्रदान की जाएगी। यदि कोई विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में न्यूनतम 60% क्रेडिट प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजुकेशन की उपाधि दी जाएगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिसमें स्नातक स्तर पर किसी भी विषय के पूर्व पात्रता की आवश्यक शर्त नहीं होगी।

3- ubl f'k{kk uhfr e: i:o'k d: fu;e

सर्वप्रथम विद्यार्थी परिसर/महाविद्यालय में अपने संकाय का चुनाव स्नातक स्तर पर अपने प्रवेश पर ही करेगा। परिसर/महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर विद्यार्थी को संबंधित संकाय में प्रवेश दे सकेंगे। प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर परिसर/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे।

Lukrd iFke leLVj e: io'k grq fo"k; ox@ldk; d: fy, io ik=rk **(Pre-requisite)**

विज्ञान वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय, कला संकाय, वाणिज्य संकाय तथा कृषि संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कला वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के योग्य होगा।

वाणिज्य वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर वाणिज्य संकाय अथवा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

कृषि वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कृषि संकाय तथा कला संकाय के अंतर्गत प्रवेश प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

व्यवसायिक वर्ग के विषयों से इंटरमीडिएट करने वाला छात्र स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

e[; (Major) fo"k; rFkk xk.k p;fur (Minor Elective) i:ij

- विद्यार्थी को प्रवेश के समय एक संकाय (कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि) का चुनाव करना होगा और उसे उस संकाय के दो मुख्य (Major) विषयों का चुनाव करना होगा। यह संकाय विद्यार्थी का अपना संकाय (Own faculty) कहलायेगा जिसका अध्ययन वह तीन वर्ष (प्रथम से छठे सेमेस्टर) तक कर सकता है।
- तीसरे मुख्य (Major) विषय का चुनाव विद्यार्थी किसी भी संकाय (अपने संकाय सहित) से कर सकता है।
- विद्यार्थी द्वितीय/तृतीय वर्ष में मुख्य विषय बदल सकता है अथवा उनके क्रम में परिवर्तन कर सकता है।
- विद्यार्थी को महाविद्यालयों में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय परिवर्तन की सुविधा होगी, परन्तु वह एक वर्ष के बाद ही विषय परिवर्तित कर सकता है, एक सेमेस्टर के बाद नहीं।
- माइनर इलेक्टिव कोर्स किसी भी विषय में 4 क्रेडिट का होगा।
- मेजर/माइनर इलेक्टिव विषय विद्यार्थी को किसी भी संकाय से लेना होगा और इसके लिए किसी भी Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।
- बहुविषयकता सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर माइनर इलेक्टिव विषय सभी विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिये गये तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त) लेना होगा।
- तीसरे मुख्य (मेजर) इलेक्टिव विषय तथा माइनर इलेक्टिव विषयों का चयन विद्यार्थी द्वारा इस प्रकार किया जायेगा कि इनमें से कम से कम एक अनिवार्यतः अपने संकाय के अतिरिक्त अन्य संकाय से हो। किसी संस्था में एक ही संकाय की स्थिति में अथवा संस्थान के स्तर पर अपने संस्थान के अन्य विभाग से लिया जा सकता है। माइनर इलेक्टिव कोर्स ऑनलाइन माध्यम से भी पूरा किया जा सकता है।
- स्नातकोत्तर स्तर (प्रथम वर्ष) पर माइनर इलेक्टिव पेपर चुनाव अन्य संकाय से करना होगां
- विद्यार्थी को प्रथम, द्वितीय वर्ष (स्नातक) एवं चतुर्थ वर्ष (स्नातकोत्तर) में माइनर इलेक्टिव विषय (एक माइनर विषय/पेपर/प्रति वर्ष) लेना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय महाविद्यालय उपलब्ध सीटों के आधार पर माइनर विषय को आबंटित कर सकता है। तृतीय, पाँचवे एव छठवें वर्ष में माइनर इलेक्टिव पेपर अनिवार्य नहीं होगा।
- विद्यार्थी अपनी सुविधा से सम अथवा विषम सेमेस्टर में उपलब्ध माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव कर सकता है।
- माइनर इलेक्टिव विषय का चुनाव संस्थान में संचालित विषयों के अनुरूप किया जायेगा। चुने हुए माइनर विषय/पेपर की कक्षायें फैकल्टी में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जायेगी।

5- ØfMV ,o ØfMV fu/kkj.k

- थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कार्य कराना होगा।
- प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे/प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात् एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल/इंटर्नशिप/फील्ड वर्क आदि कराना होगा।
- क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य राज्य स्तरीय ''ऐकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट'' (ABC ID) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा–निर्देश अलग से जारी किये जायेंगे। **प्रत्येक छात्र को अपनी** (ABC ID) **बनाना अनिवार्य है।**
- विद्यार्थी न्यूनतम 46 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टिफिकेट, न्यूनतम 92 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 132 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री ले सकता है। इससे आगे विद्यार्थी न्यूनतम 184 क्रेडिट अर्जित करने पर चतुवर्षीय स्नातक (शोध सहित) डिग्री, न्यूनतम 232 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतम 248 क्रेडिट अर्जित करने पर पी.जी.डी.आर. ले सकता है।

  एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुनः नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिए यदि कोई विद्यार्थी एक वर्ष के बाद 46 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टिफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो वह या तो अपना मूल सर्टिफिकेट विश्वविद्यालय में जमा (Surrender) केर 46 क्रेडिट को खाते मे रि–क्रेडिट (Re-credit) करेगा अथवा नए 46 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 92 (46-46) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा ले सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिए भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टिफिकेट/डिप्लोमा नहीं लेता है तो वह 132 क्रेडिट के आधार पर डिग्री ले सकता है।
- यदि कोई योग्य विद्यार्थी (Fast Learner) कम समय में डिग्री के लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त कर लेगा तो न्यूनतम क्रेडिट प्राप्त करने पर अंतराल की सुविधा होगी, परन्तु डिग्री तीन वर्ष बाद ही मिलेगी। अंतराल के दौरान वह किसी भी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टिफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए उसे उसी विषय के आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।
- तीन वर्ष में विद्यार्थी तीन मुख्य (Major) विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट जिस संकाय में प्राप्त करेगा उसी संकाय में उसे डिग्री प्रदान की जायेगी।
- यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, तीन मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम 60 प्रतिशत क्रेडिट (112 का 60 प्रतिशत अर्थात 67 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है तो उसे बैचलर ऑफ लिबरल एजूकेशन (B-L-E) की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा

जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के Pre-requisite की आवश्यकता नहीं होगी।

- यदि कोई योग्य विद्यार्थी सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर अपने क्रेडिट रि–क्रेडिट (Re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो वह रि–क्रेडिट (Re-credit) किए गए क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टिफिकेट/डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है।

5- d{kkUukfr **(Promotion)**

- विद्यार्थी को विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अगले सम सेमेस्टर (Even Semester) में सदैव प्रोन्नत किया जायेगा, चाहे वर्तमान विषम (Odd Semester) का परिणाम कुछ भी हो।
- सम सेमेस्टर (Even Semester) से अगले विषम सेमेस्टर (Odd Semester) अर्थात वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में प्रोन्नति निम्न शर्तों के साथ दी जायेगी :

  विद्यार्थी ने वर्तमान वर्ष (दोनों सेमेस्टर मिलाकर) के कुल आवश्यक (Required) क्रेडिट्स का न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट के पेपर (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल मिलाकर) उत्तीर्ण कर लिए हों तथा पूर्व वर्ष (वर्तमान वर्ष के अतिरिक्त) के लिये आवश्यक (Required) सभी (मुख्य/माइनर/स्किल इत्यादि) पेपेर तथा Qualifying papers (सह–पाठ्यक्रम) के क्रेडिट्स उत्तीर्ण कर लिये हों।
- 50 प्रतिशत क्रेडिट की गणना करने में दशमलव के बाद के अंक नहीं गिने जायेंगे। जैसे कि 27.7 तथा 27.3 को 27 ही माना जाएगा।

6- cd ii j vFkok l/kkj **(Improvement)** ijh{kk

- आन्तरिक परीक्षा में बैक पेपर अथवा सुधार परीक्षा (Improvement) नहीं होगी। केवल पूर्ण सेमेस्टर को बैक परीक्षा के रूप में दोबारा देने की स्थिति में विश्वविद्यालय के साथ आन्तरिक मूल्यांकन भी किया जा सकता है किन्तु एक विद्यार्थी दो पूर्ण सेमेस्टर के संपूर्ण परीक्षाएं एक साथ नहीं दे सकेगा।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) की सुविधा सम (विषम) सेमेस्टर के पेपर के लिए सम (विषम) सेमेस्टर में ही उपलब्ध होंगी।
- विद्यार्थी को बैक पेपर अथवा सुधार (Improvement) हेतु परीक्षा के लिए कोर्स/पेपर तथा उसका पाठ्यक्रम (Syllabus) वही होगा जो उस वर्तमान सेमेस्टर जिसमें वह परीक्षा दे रहा है, में उपलब्ध होगा।
- विद्यार्थी बैक पेपर अथवा सुधार हेतु किसी भी कोर्स/पेपर की विश्वविद्यालय (बाह्य) परीक्षा काल बाधित न होने तक चाहे कितनी भी बार दे सकता है किंतु यह व्यवस्था वर्तमान वर्ष से केवल 1 वर्ष पहले के पेपर के लिए ही उपलब्ध होगी।

7- dky vof/k (केवल एन०ई०पी० के लिए)

- किसी भी एक वर्ष को पूरा करने की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी।

  व्याख्या (Explanation) : यदि विद्यार्थी सततता में तीनों वर्ष में पढ़ाई करता है तो उसे अधिकतम नौ वर्ष मिलेंगे किन्तु यदि विद्यार्थी किसी एक वर्ष का सर्टिफिकेट/डिप्लोमा लेकर चला जाता है तो वह बाकी के वर्षों की पढ़ाई पूरा करने के लिए तीन वर्ष (प्रति एक वर्ष की पढ़ाई) के मिलेंगे।

प्रवेश नियम

(विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परिसर/महाविद्यालय/संस्थान हेतु)

v/;k;&1 lk/kkj.k fu;e&

1.1 विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत सभी सम्बन्धित कक्षाओं में ऑन लाइन (On Line) पद्धति से प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य / सक्षम अधिकारी द्वारा किये जाएंगे। सभी विषयों में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध प्रत्येक महाविद्यालय / संस्थान एवं विश्वविद्यालय के परिसरों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सीटों पर ही प्रवेश किये जायेंगे।

1.2 विश्वविद्यालय से निर्धारित प्रवेश की अन्तिम तिथि के पश्चात् प्रवेश सम्भव नहीं होगा। Online प्रवेश Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण / परिवर्तन / विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

1.3 परिसरों/महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर अनन्तिम योग्यता सूची तैयार की जायेगी तथा काउसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व संबंधित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों को उपलब्ध करा दी जाएगी। परिसर / महाविद्यालय / संस्थान अन्तिम योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया सम्पादित करेंगे और उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देंगे जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर सत्यापन (Verification) कर लिया गया हो।

1.4 Online माध्यम से उपरोक्तानुसार आवेदन किए हुए अभ्यर्थियों को प्रवेश प्रक्रिया के समय सम्बन्धित परिसर / महाविद्यालय / संस्थान में अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी, शैक्षणिक मूल प्रमाणपत्रों एवं अंकतालिकाओं तथा अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा अधिभार / आरक्षण विषयक प्रमाण पत्रों आदि में से प्रत्येक की स्पष्ट स्वप्रमाणित छाया प्रति के साथ स्वयं प्रवेश समिति के समक्ष उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

1.5 अभ्यर्थी तथा उसके अभिभावक द्वारा प्रवेश प्रक्रिया के समय विश्वविद्यालय की वेबसाइट में प्रवेश प्रक्रिया के अन्तर्गत उपलब्ध प्रारूप (क) तथा प्रारूप (ख) में उल्लेखित निर्धारित शपथ–पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। शपथ पत्र में अभ्यर्थी के हस्ताक्षर महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय के परिसरों द्वारा गठित प्रवेश समिति के शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाएंगे।

1.6 किसी पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए शिक्षकों की संख्या तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में स्थान तथा साधनों की उपलब्धता के आधार पर ही प्रवेश हेतु सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी।

1.7 (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम / कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक

भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र तथ्यों सहित लिखित रूप में प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी विश्वविद्यालय / महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है तो उसका प्रवेश सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा जिसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को यथाशीघ्र प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ग) यदि किसी छात्र के विरूद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा० न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस / प्रशासन द्वारा निरूद्ध (पाबन्द) किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरूद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय / विश्वविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा।

1.8 सम्बन्धित संकायाध्यक्ष / प्राचार्य अथवा प्रवेश स्वीकृत करने के लिये सक्षम अधिकारी / समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार / निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को तथ्यों सहित प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

1.9 (क) किसी भी अभ्यर्थी को जो महाविद्यालय / संस्थान / विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम 1.7 (ख) के अर्न्तगत ''धोखाधड़ी से प्रवेश लेना'' माना जायेगा, तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर परिसर / महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी जिसकी सूचना परिसर / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय कार्यालय को 15 कार्यदिवसों के अन्तर्गत अनिवार्यतः उपलब्ध करायी जायेगी।

1.10 प्रवेशरत् किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

1.11 अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत् है–

1– अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2– अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत

3– अन्य पिछड़ा वर्ग 14 प्रतिशत

4– आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) 10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी अद्यतन प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैद्यता अवधि से पूर्व का न हो)

नोट–स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

(1) महिलाऐं	30 प्रतिशत
(2) भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
(3) दिव्यांग	05 प्रतिशत
(4) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत
(4) उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे	05 प्रतिशत

(जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)। उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

1.12 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में नियमानुसार सुविधायें प्रदत्त की जाएंगी।

1.13 स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने कीदशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन०सी०सी० 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर) 20 अंक

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगा भाई / बहन– 20 अंक

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध–सैनिकों के पुत्र/पुत्री पति/पत्नी / सगा भाई बहन तथा जम्मू–कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई/बहन– 20 अंक

ङ) अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 20 अंक

(च) अन्तर–विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर 40 अंक

(छ) शासन द्वारा/खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर 30 अंक

(ज) राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(छ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक

(ञ)अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक

(ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक

(ठ) अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट – उपरोक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम् योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

1.14 (क) यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

(ख) प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् परिसर / महाविद्यालय / संस्थान स्तर पर कोई भी परिवर्तन किया जाना अनुमन्य नहीं होगा।

1.15 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों / परिसरों / संस्थानों में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी०सी०) व सी० सी० के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर सम्बन्धित महाविद्यालय / संस्थान / संकाय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.16 क) प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी विशेष परिस्थितियों में संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा 05 प्रतिशत तक तथा संकायाध्यक्ष / प्राचार्य की संस्तुति पर कुलपति जी द्वारा 10 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा सकती है।

(ख) अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय / परिसर में संस्था अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

1.17 अभ्यर्थी द्वारा संबंधित महाविद्यालय / परिसर / संस्थान में प्रवेश लेने के पश्चात् अभ्यर्थी के आवेदन पत्र से संबंधित अभिलेख यथा आवेदन पत्र, शैक्षणिक प्रपत्र, अन्य प्रपत्रों का 03 माह पश्चात विनिष्टिकरण कर दिया जायेगा। यह नियम प्रवेश से वंचित छात्रों के संबंध में भी लागू होगा।

1.18 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एंव निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाए जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वैधानिक नियन्त्रण – विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त प्रवेश नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

कुलसचिव,
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,
बादशाहीथौल, टिहरी गढवाल

अर्हता निर्धारण के नियम

(विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित एवं स्वायत्त महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत)

v/;k;&2 vgrk@;kX;rk lph fu/kkj.k d fu;e

2.1 स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश भर्ती की निर्धारित सीमा तक संकायाध्यक्ष / प्राचार्य द्वारा इण्टरमीडिएट (Senior Secondary) कक्षा में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद से अनुमोदित बोर्ड /यू०जी०सी० से मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

(क) कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु अर्हता निम्नवत् होगी :—

(1) कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण।
(40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत)

(2) विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण। (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)

(3) वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला/विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत)। इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय स्नातक स्तर पर विज्ञान से कला अथवा वाणिज्य) परिवर्तित कर परिसर/महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश चाहता है तो ऐसे छात्र द्वारा परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु नियम 2–1 (क) के अनुसार योग्यता सूची में आने पर एवं संबंधित परिसर/महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर / महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

2.2 शिक्षणेत्तर कार्य—कलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान/पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्यों/संकायाध्यक्षों की संस्तुति पर प्रवेश विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

2.3 परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन—पाठन प्रारम्भ किया जायेगा। यह व्यवस्था नितान्त अस्थायी होगी।

2.4 उत्तराखण्ड से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यता क्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही

इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

2.5 The candidates for the Under&Graduate programs shall have to two compulsory paper/ subject and choose one optional & subject combinations as per the group&scheme provided below :

,dy l|dk; egkfo|ky;k gr| fuEu rkfydk d| vu|lkj fo"k;k dk p;u fd;k tk ldrk g

कला संकाय (Bachelor of Arts (B.A.) हेतु

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय –III (Major Elective Subject & III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माइनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	ड्राइंग एवं पेटिंग (Drawing & Painting)	भूगोल (Geography)	शिक्षा शास्त्र (Education)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)		
	गृह विज्ञान (Home Science)				
		संगीत (Music)			
	मनोविज्ञान (Psychology)				

नोट : विषय संयोजन उपलब्ध सीटों के अनुसार प्रवेश समिति द्वारा किया जायेगा।

foKku l:dk; (Bachelor of Science (B.Sc.) g:r|

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय : (Major Elective Subjects-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट)के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गए तीन विषयों से अलग होगा। प्रवेशार्थी को अपने परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माइनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माइनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की भी स्वतन्त्रता होगी।

गणित (Mathematics Group)

Group A	Group B	Group C
गणित (Mathematics)	भौतिक विज्ञान (Physics)	रसायन विज्ञान (Chamistry)

जीव विज्ञान समूह (Bio Group)

Group A	Group B	Group C
वनस्पति विज्ञान (Botany)	जन्तु विज्ञान (Zoology)	रसायन विज्ञान (Chamistry) भूगर्भ विज्ञान (Geology) माइक्रोबॉयलोजी (Microbiology)

xg foKku l:dk; (Bachelor of Home Science) g:r|

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरें मुख्य विषय : (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गये तीन विषयों से अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों द्वारा संचालित माइनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकट परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माईनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की स्वतन्त्रता होगी।

गृह विज्ञान समूह (Home Science Group)

Group A	Group B	Group C
(A) Food & Nurition खाद्य एवं पोषण	(A) Clothing and Textile Sciences परिधान एवं वस्त्र निर्माण	(A) Extension Education प्रसार शिक्षा
(B) Human Development and Family Studies मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन	(B) Family Resource Management पारिवारिक संसाधन प्रबंध	

okf.kT; ldk; (Bachelor of Commerce (B.Com.) gr

प्रवेशार्थी को दो मुख्य विषयों (Two Major Subjects) का चयन निम्न अंकित विषय समूह के पृथक–पृथक समूहों से करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा तीसरे मुख्य विषय : (Major Elective Subject-III) का चयन पूर्व चयनित विषय समूहों से भिन्न समूहों से करना होगा। उपरोक्त तीनों मुख्य विषय अभ्यर्थी द्वारा अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं। एकल संकाय वाले महाविद्यालय में माइनर इलेक्टिव (4 क्रेडिट) के विषय का चयन प्रवेशार्थी एकल संकाय में उपलब्ध विषयों में से ही कर सकता है, जो चुने गये तीन विषयों से अतिरिक्त अपने निकटतम परिसर/महाविद्यालय /संस्थानों द्वारा संचालित माइनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अपने निकट परिसर/महाविद्यालय/संस्थानों में संचालित माइनर इलैक्टिव पाठ्यक्रमों को चयनित किये जाने की स्वतन्त्रता होगी।

Group A	Group B	Group C
(Financial Accounting) (Major Core Own Faculty) फाइनेन्सियल एकाउंटिंग)	(Business Regularory Frame Work) (Major Core Own Faculty) व्यावसायिक नियामक ढांचा	(Business Organization and Management) व्यावसायिक संगठन एवं प्रबन्धन
		(Business Communication (Major Elective Own Faculty/ Other Faculty व्यावसायिक संचार

उत्तीर्ण होने संबंधी नियम

विभिन्न उपाधियों में उत्तीर्ण होने एवं अगले सेमेस्टर/कक्षा में प्रमोट होने संबंधी सभी नियम महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

çk:i ¼d½
Nk= }kjk 'kiFk&i=

1. मैं शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के रूप में अपना व्यवहार तथा आचरण ठीक रखूँगा/रखूँगी तथा किसी समाज विरोधी कार्यवाही में भाग नहीं लूंगा/लूंगी एवं विश्वविद्यालय अधिनियम /परिनियम/अध्यादेश तथा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करूँगा/करूँगी अन्यथा मैं विश्वविद्यालय /महाविद्यालय/संस्थान द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वीकार करने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

2. मैं प्रमाणित करता हूँ/करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि किसी समय कोई भी प्रविष्टि असत्य पायी गयी तो विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय मुझे मान्य होगा।

3. मैं शपथपूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा इस सत्र में किसी अन्य संस्थान के किसी भी अन्य कक्षा में प्रवेश नहीं लिया है।

4. मैं महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी शुल्क समयानुसार जमा करूँगा/करूँगी। यदि मैं समय पर शुल्क जमा नहीं करता/करती हूँ तो महाविद्यालय/विश्वविद्यालय को मेरा प्रवेश निरस्त करने अथवा मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. यदि मैं विश्वविद्यालय के प्रवेश नियमों के विरूद्ध किसी अन्य पाठ्यक्रम में इस अथवा अन्य विश्वविद्यालय में इसी सत्र (Current Session) में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेश लेता/लेती हूँ तो इस विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में मेरा प्रवेश स्वतः निरस्त हो जाएगा।

6. यदि मेरी उपस्थिति विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के नियमों के अनुसार पूर्ण नहीं होती है तो मुझे परीक्षा में बैठने की अनुमति न देने का विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का पूर्ण अधिकार रहेगा।

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

प्रति हस्ताक्षरित
(सम्बन्धित महाविद्यालय/परिसर/संस्थान के शिक्षक द्वारा)

çk:i ¼[k½
firk vFkok vfHkHkkod dh ?kks"k.kk

मैं विश्वास दिलाता हूँ कि श्री / कु० / श्रीमती.. जो मेरे संरक्षण में रहेंगे / रहेंगी, विश्वविद्यालय में नामांकित छात्र / छात्रा के रुप में अपने अध्ययन के पूरे समय अपना व्यवहार एवं उचित रखेंगे / रखेंगी। यदि वे उपर्युक्त शपथ का पालन करने में असफल रहते / रहती हैं तो, इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / संस्थान द्वारा की गयी अनुशासनात्मक कार्रवाई स्वीकार करने को मेरा पाल्य बाध्य होगा तथा सम्बन्धित प्राधिकारी का निर्णय मुझे मान्य होगा। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय द्वारा उपस्थिति के संबंध में जो नियम होंगे मेरा पुत्र / पुत्री उनका पालन करेगा।

हस्ताक्षर

पिता–अभिभावक

1. महाविद्यालय में सभी छात्र/छात्राओं द्वारा मोबाइल लाने पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा।
2. सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि अपने पुत्र/पुत्री को मोबाइल के साथ महाविद्यालय न भेजें। मोबाइल पकड़े जाने पर जब्त कर लिया जायेगा।
3. किसी शैक्षिक कार्य हेतु प्राध्यापक द्वारा निर्देशित किये जाने पर ही छात्र/छात्रा मोबाइल लेकर आ सकेंगे।

पाठ्यक्रम के अनुसार सीट

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	सीट	विषय
1.	बी. ए.	प्रत्येक विषय में 120 सीट	हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, चित्रकला, अर्थशास्त्र भूगोल, गृह विज्ञान, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र
2.	बी. कॉम.	160 सीट	–
3.	बी. लिब.	40 सीट	–
4.	बी.एस-सी.(गृह विज्ञान)	60 सीट	–
5.	बी.एस-सी.	विषयानुसार सीट	भौतिक विज्ञान-120, गणित-120, रसायन विज्ञान 240 वनस्पति विज्ञान-120, जन्तु विज्ञान-120, सूक्ष्म जीवन विज्ञान-80, कम्प्यूटर विज्ञान-80, भूगर्भ विज्ञान-80।

स्ववित्त पोषित पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	सीट	विषय
1.	बी. ए.	प्रत्येक विषय में 120 सीट	हिन्दी, इतिहास, अंग्रेजी, मनोविज्ञान, संगीत, शिक्षा शास्त्र, गणित, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र
2.	बी. कॉम. (आनर्स)	60 सीट	–
3.	बी.एस-सी. (कृषि विज्ञान)	120 सीट	–

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	सीट
1.	एम.एस-सी. (जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं अन्य प्रयोगात्मक विषय)	40
2.	एम.एस-सी. (माइक्रोबायलॉजी)	40
3.	एम.एस-सी. (गणित)	40
4.	एम.ए.-भूगोल, गृह विज्ञान, ड्राइंग एवं पेंटिंग	60
5.	एम.ए.-हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, अर्थ शास्त्र, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान	60
6.	एम. कॉम.	60
7.	एम.लिब. (एकवर्षीय)	60

उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम

क्रम सं.	पाठ्यक्रम	सीट
1.	योगाचार्य (द्विवर्षीय)	40
2.	योग पी.जी. डिप्लोमा (एक वर्षीय)	30
3.	एम.ए. (आचार्य) पत्रकारिता	30

चेक लिस्ट (अनिवार्य प्रमाण-पत्र)

1. हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)
4. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल प्रति)
5. एण्टी रैगिंग शपथ पत्र (छात्र एवं अभिभावक द्वारा अलग-अलग)
6. आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
7. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)
8. पुलिस सत्यापन (अन्य राज्यों के छात्र-छात्राओं के लिए)
9. दस रुपये के स्टाम्प पर शपथ पत्र (अन्य किसी स्थान पर प्रवेश)
10. इण्टरमीडिएट के पश्चात पढ़ाई में गैप होने सम्बन्धी शपथ-पत्र।
11. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर्स-रेंजर्स/खेल-कूद या अन्य विशेष उपलब्धि का प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो)
12. आधार कार्ड।
13. दो पोस्ट कार्ड स्वयं का पता लिखा हुआ।

Course Fee

S. No.	Course Fee	Boys	Girls
1	BA (NP)	3842	3710
2	BA (P)	4322	4190
3	B.Sc (गणित वर्ग)	4322	4190
4	B.Sc. (बायो वर्ग)	4562	4430
5	B.Com.	4322	4190
6	B. Lib.	4562	4430
7	B.Sc. (Home Sc.)	4462	4430

S. No.	Self Finance Course Fee	Boys / Girls
1	BA Self Finance (P+NP)	उपरोक्तानुसार
2	B.Com. Hons.	7000 Sem.
3	B.Sc (Ag.)	9500 Sem.
4	M.Lib.	9500 Sem.
5	PG Diploma (Yog)	9500 Sem.
6	MA (Yog)	9500 Sem.
7	MA (Journalism)	5500 Sem.
8	MA (Hindi)	5500 Sem.
9	MA (History)	5500 Sem.
10	MA (Economics)	5500 Sem.
11	MA (English)	5500 Sem.
12	MA (Sanskrit)	5500 Sem.
13	MA (Political Science)	5500 Sem.
14	MA (Sociology)	5500 Sem.
15	M.Com.	7000 Sem.
16	MA (Geography)	6500 Sem.
17	MA (Home Science)	6500 Sem.
18	MA (Drawing & Painting)	6500 Sem.
19	M.Sc (Botany)	6500 Sem.
20	M.Sc (Zology)	6500 Sem.
21	M.Sc (Chemistry)	6500 Sem.
22	M.Sc (Physics)	6500 Sem.
23	M.Sc. (Mathematics)	6500 Sem.
24	M.Sc. (Microbiology)	12000 Sem.

नोट : 1. यदि विश्वविद्यालय/सरकार द्वारा शुल्क में वृद्धि या अन्य कोई बदलाव किया जाता है तो बढ़ाया गया शुल्क छात्र/छात्रा द्वारा देय होगा।
2. उपर्युक्त शुल्क में सेमेस्टर/वार्षिक परीक्षा शुल्क सम्मिलित नहीं है। परीक्षा शुल्क अलग से देय होगा।

महाविद्यालय परिवार

शिक्षक वर्ग :

डॉ. सुशील उपाध्याय, प्राचार्य	9997998050

कला संकाय :

1— अंग्रेजी विभाग :	
डॉ. दीपा अग्रवाल, सहायक आचार्या	9758243800
डॉ. अपर्णा शर्मा, सहायक आचार्या	8660355780
2— अर्थशास्त्र विभाग :	
डॉ. विमल कांत तिवारी, सहायक आचार्य	9456380014
पद रिक्त	
3— इतिहास :	
डॉ. सूर्यकान्त शर्मा, सहायक आचार्य	9457370007
4— चित्रकला :	
पद रिक्त	
5— गृह विज्ञान :	
डॉ. नीतू गुप्ता, सहायक आचार्या	9808964601
डॉ. अनामिका चौहान, सहायक आचार्या	7417386252
6— भूगोल :	
डॉ. नवीन कुमार त्यागी, सहायक आचार्य	9675569090
7— राजनीति विज्ञान विभाग :	
डॉ. नीशू कुमार, सहायक आचार्य	8126501692
डॉ. धर्मेन्द्र कुमार, सहायक आचार्य	9758085375
8— समाजशास्त्र विभाग :	
डॉ. हिमांशु कुमार, सहायक आचार्य	9720372818
श्री नवीन कुमार, सहायक आचार्य	7310585039
9— संस्कृत विभाग :	
डॉ. अनिता रानी, सहायक आचार्या	9410365317
10— हिन्दी विभाग :	
डॉ. मीरा चौरसिया,सहायक आचार्या	9760222405
श्री आशुतोष शर्मा, सहायक आचार्य	9410247787

वाणिज्य संकाय :

डॉ. किरन शर्मा, सहायक आचार्या	9997906020
डॉ. देवपाल, सहायक आचार्य	9410367462
डॉ. श्वेता, सहायक आचार्या	9410771888

विज्ञान संकाय :

1– गणित विभाग :

डॉ. तरूण कुमार गुप्ता, सहायक आचार्य	9917489599
श्री विनीत कुमार, सहायक आचार्य	6395782335

2– जन्तु विज्ञान विभाग

डॉ. विधि त्यागी, सहायक आचार्या	9084079464
डॉ. दीपिका सैनी सहायक आचार्या	9756790820

3– भौतिक विज्ञान विभाग :

श्री विपुल सिंह, सहायक आचार्य	9997402701
डॉ. अरविन्द कुमार, सहायक आचार्य	9027966128

4– भूगर्भ विज्ञान विभाग :

पद रिक्त

5– रसायन विज्ञान विभाग :

डॉ. संजीव कुमार, सहायक आचार्य	9837419074
पद रिक्त	

6– वनस्पति विज्ञान विभाग :

डॉ. मौ. इरफान, सहायक आचार्य	9897548687
डॉ. ऋचा चौहान, सहायक आचार्या	8869033804

7– सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग :

डॉ. प्रभात कुमार सिंह, सहायक आचार्य	9719136157

8– कम्प्यूटर साइंस विभाग :

पद रिक्त

पुस्तकालय विज्ञान विभाग :

डॉ. कुलदीप कुमार, सहायक आचार्य	8630825622
डॉ. पुनीता शर्मा, सहायक आचार्या	9359578707

पुस्तकालय एवं कार्यालय

1.	पद रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष	
2.	श्री दिनेश कुमार	कार्यालय अधीक्षक	9719757864
3.	श्री विदित कौशल	लेखाकार	7251970885
4.	श्रीमती मंजूलता	उप सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	8979004189
5.	श्री निशिथ कुमार	स्टेनो	7983909933
6.	श्री दिनेश कौशिक	कनिष्ठ सहायक	7017590322
7.	श्री सचिन शर्मा	कनिष्ठ सहायक	7218372584
8.	पद रिक्त	कनिष्ठ सहायक	....
9.	श्री दीपक चौधरी	कनिष्ठ सहायक	9927512002
10.	श्री विपिन कुमार	कनिष्ठ सहायक	7055001434
11.	श्री विशाल कुमार	कनिष्ठ सहायक	6396257607
12.	श्री सुमित कौशिक	कनिष्ठ सहायक	8218796863
13.	श्री रविन्द्र सिंह	कनिष्ठ सहायक	7253992679

प्रयोगशाला सहायक :

1.	श्री अभिषेक	प्रयोगशाला सहायक (भूगर्भ विज्ञान)	8077770312
2.	श्रीमती रीना गुप्ता	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)	7017628124
3.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (गृहविज्ञान)	....
4.	श्रीमती प्रणीता भण्डारी	प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर विज्ञान)	7351390787
5.	श्री जितेश बगड़वाल	प्रयोगशाला सहायक (कम्प्यूटर विज्ञान)	9756219335
6.	श्री अमित बहादुर	प्रयोगशाला सहायक (चित्रकला)(अनु.)	9058069676
7.	पद रिक्त	प्रयोगशाला सहायक (रसायन विज्ञान)	....
8.	श्रीमति दीपाक्षी शर्मा	प्रयोगशाला सहायक (माइक्रोबाइलॉजी)	7906063101
9.	श्री नावेद आसिफ	प्रयोगशाला सहायक (भूगोल)	9837864510
10.	श्री गौरव अग्रवाल	प्रयोगशाला सहायक (भौतिक विज्ञान)	9759961016
11.	श्री भुवन चन्द्र ब्रजवासी	प्रयोगशाला सहायक (जन्तु विज्ञान)	7895643116
12.	श्री सतीश कुमार	प्रयोगशाला सहायक (वनस्पति विज्ञान)	9760823767

चतुर्थ श्रेणी वर्ग :

1.	श्री अमित कुमार गुप्ता	7078163114	11.	श्री सत्तार	6397159083
2.	श्री अंकुर शर्मा	8077695625	12.	श्री विनय कुमार	7897294237
3.	श्री अनुज कुमार	9528186958	13.	श्री दिनेश कुमार	9917703573
4.	श्री अनुराग पाल	7895573968	14.	श्रीमती नीलम देवी	8859855288
5.	श्रीमती अर्चना	9639716481	15.	श्री अर्पित कुमार	8445469007
6.	श्री अर्जुन कुमार	9368191366	16.	श्रीमती ऋतु	7818953496
7.	श्री दुष्यन्त कुमार	7900801568	17.	श्री नवीन गिरि	7983346972
8.	श्री प्रदीप कुमार	6397110770	18.	श्री जमाल अहमद	8439891515
9.	श्री प्रमोद कुमार मलकानी	9756025706			
10	श्री मुकेश कुमार	8958533192			

महाविद्यालय की महत्वपूर्ण समितियाँ (सत्र 2025-26)

1. **आई.क्यू. ए.सी.:**
   - डॉ. दीपा अग्रवाल
   - डॉ. नवीन कुमार
   - डॉ. ऋचा चौहान
   - डॉ. तरुण कुमार गुप्ता
   - डॉ. विधि त्यागी
   - डॉ. नीतू गुप्ता
   - डॉ. किरन शर्मा
   - श्री दिनेश कुमार
   - श्री अभिषेक

2. **परीक्षा समिति :**
   - डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
   - श्री विनीत कुमार
   - डॉ. नवीन कुमार
   - श्री विपुल सिंह
   - डॉ. विमल कान्त तिवारी
   - डॉ. संजीव चौहान
   - डॉ. मीरा चौरसिया
   - श्री सुमित कौशिक
   - श्री रविन्द्र सिंह

3. **अनुशासन समिति :**
   - डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
   - डॉ. हिमांशु कुमार
   - डॉ. अनामिका चौहान
   - डॉ. दीपिका सैनी
   - डॉ. इरफान
   - डॉ. कुलदीप कुमार
   - श्री विपुल सिंह
   - श्री शिवांक शर्मा

4. **क्रीड़ा समिति :**
   - श्री विपुल सिंह
   - डॉ. तरुण कुमार गुप्ता
   - डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
   - डॉ. अनीता रानी
   - डॉ. नीशू कुमार
   - डॉ. अपर्णा शर्मा

5. **प्रवेश समिति :**
   - श्री नवीन कुमार
   - डॉ. मीरा चौरसिया
   - डॉ. किरन शर्मा
   - डॉ. देवपाल
   - डॉ. संजीव कुमार
   - डॉ. दीपिका सैनी
   - डॉ. अनामिका चौहान
   - डॉ. पुनीता शर्मा

6. **कैरियर काउंसलिंग प्लेसमेंट असिस्टेंट समिति :**
   - डॉ. अरविन्द कुमार
   - डॉ. दीपिका सैनी
   - गौरव अग्रवाल

7. **शोध समिति :**
   - डॉ. अनामिका चौहान
   - डॉ. देवपाल
   - श्री गौरव अग्रवाल

8. **अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग समिति :**
   - डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
   - डॉ. अरविन्द कुमार
   - डॉ. श्वेता
   - श्री अमित बहादुर

9. **पुरातन छात्र समिति :**
   - डॉ. अनिता रानी
   - श्री नवीन कुमार
   - श्री विपुल सिंह

10. **सांस्कृतिक क्रियाकलाप समिति :**
- डॉ. श्वेता
- डॉ. अर्पणा शर्मा
- श्री आशुतोष शर्मा
- डॉ. कुलदीप कुमार
- डॉ. पुनीता शर्मा
- डॉ. अनिता रानी
- डॉ. हिमांशु कुमार
- श्री सुमित कौशिक

11. **तम्बाकू निषेध एवं एण्टी ड्रग समिति :**
- डॉ. संजीव कुमार
- डॉ. मौ. इरफान

12. **एंटी रैगिंग :**
- डॉ. दीपिका सैनी
- डॉ. प्रभात कुमार सिंह
- श्री भुवन चंद्र ब्रजवासी

13. **प्रांगण विकास समिति :**
- डॉ. किरन शर्मा
- डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- श्रीमती प्रणिता भण्डारी

14. **आई.सी.टी. एवं ई-लर्निंग समिति :**
- डॉ. हिमांशु कुमार
- डॉ. श्वेता
- श्री जितेश बगड़वाल

15. **निर्धन एवं मेधावी (मेंटोरशिप एवं इंस्पायर ग्रुप) छात्र/छात्रा कल्याण समिति :**
- डॉ. नीतू गुप्ता
- श्री विनीत कुमार
- डॉ. अनुराग शर्मा

16. **शिक्षक-अभिभावक संघ :**
- डॉ. श्वेता
- डॉ. अरविन्द कुमार
- श्री नावेद आसिफ

17. **स्वास्थ्य जागरुकता समिति (ई-रक्तकोष, आभा आईडी एवं आयुष्मान कार्ड) :**
- डॉ. प्रभात कुमार सिंह
- डॉ. नीशू कुमार
- श्रीमती दीपाक्षी शर्मा

18-**महाविद्यालय समय सारणी समिति :**
- श्री विनीत कुमार
- डॉ. नीतू गुप्ता
- डॉ. देवपाल

19. **पुस्तकालय समिति :**
- डॉ. पुनीता शर्मा
- डॉ. मौ. इरफान
- श्री आशुतोष शर्मा
- श्रीमती मंजुलता

20. **महाविद्यालय पत्रिका समिति :**
- श्री आशुतोष शर्मा
- डॉ. अपर्णा शर्मा
- डॉ. अनिता रानी

21. **आंतरिक शिकायत निवारण समिति (ICC):**
- डॉ. अनामिका चौहान
- डॉ. ऋचा चौहान
- श्रीमती रीना गुप्ता

22. **छात्र/छात्रा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ :**
- डॉ. किरण शर्मा
- डॉ. नीशू कुमार
- डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- श्री विनीत कुमार
- श्री नवीन कुमार
- डॉ. तरुण कुमार गुप्ता
- साक्षी (छात्रा बी.कॉम.)

23. **प्रचार-प्रसार (मीडिया) एवं सूचना (फोटोग्राफ्स सहित) संकलन समिति :**
- डॉ. तरुण कुमार शर्मा
- डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
- श्री दीपक चौधरी

24. एन.सी.सी. :
- डॉ. अपर्णा शर्मा
- श्री विपिन कुमार

25. रोवर्स रेंजर्स समिति :
- डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- डॉ. विधि त्यागी
- श्री सतीश कुमार

26. एन.एस.एस. :
- डॉ. मौ. इरफान
- डॉ. पुनीता शर्मा

27. एन.आई.आर.एफ.-ए.आई.एस.एच.ई./ एस.आई.आर.एफ. :
- डॉ. ऋचा चौहान
- जितेश बगड़वाल

28. वेबसाइट समिति :
- डॉ. कुलदीप कुमार
- डॉ. ऋचा चौहान
- श्री विपिन कुमार

29. प्रवेश विवरणिका समिति :
- डॉ. नवीन कुमार
- डॉ. विमलकांत तिवारी
- श्री निशिथ कुमार

30. समर्थ पोर्टल एवं एम.आई.एस. प्रकोष्ठ :
- डॉ. विमलकांत तिवारी
- श्री निशिथ कुमार

31. के.पी. आई. एवं उपस्थिति डेटा :
- श्री विपुल सिंह
- डॉ. अरविन्द कुमार

32. समान अवसर प्रकोष्ठ (EOC) :
- डॉ. पुनीता शर्मा
- डॉ. मीरा चौरसिया
- श्रीमती मंजु लता

33. अकादमिक एवं प्रशासनिक ऑडिट समिति (AAA) :
- डॉ. देवपाल
- डॉ. संजीव कुमार
- डॉ. सूर्यकान्त शर्मा
- डॉ. मीरा चौरसिया

34. अकादमिक ि∅यान्वयन समिति :
- डॉ. नीशू कुमार
- डॉ. किरन शर्मा
- डॉ. प्रभात कुमार सिंह

35. रेड∅ास समिति :
- डॉ. प्रभात कुमार सिंह
- डॉ. विधि त्यागी
- डॉ. अनामिका चौहान

बोनाफाइड प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का आवेदन

परीक्षार्थी का नाम –
पिता का नाम –
पूर्ण पता –
प्रवेश संख्या –
प्रवेश शुल्क –

चमन लाल महाविद्यालय, लण्ढौरा (हरिद्वार)

बोनाफाइड प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि..पुत्र/पुत्री श्री..

ने महाविद्यालय में कक्षा ....में सत्र..

में प्रवेश लिया है। छात्र द्वारा महाविद्यालय में निम्नानुसार शुल्क जमा किया गया।

शिक्षण शुल्कः–

प्रवेश शुल्कः–

योगः– प्राचार्य

सेवा मे,
प्राचार्य
चमन लाल महाविद्यालय
लण्ढौरा (हरिद्वार)

विषयः अधूरे प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रार्थी/प्रार्थिनी ने महाविद्यालय में कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन किया है। अभी मेरे पास निम्नोक्त प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं है।

1.
2.
3.
4.

आपसे प्रार्थना है कि प्रार्थी/प्रार्थिनी को अस्थायी प्रवेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी/प्रार्थिनी द्वारा उपर्युक्त प्रमाण –पत्र विलंबत 15 दिन में जमा करा दिए जाएंगे। अन्यथा की स्थिति में प्रवेश निरस्त कर दिया जाए।

भवदीय/भवदीया

छात्र/छात्रा का नाम–
पिता का नाम–
मोबाइल नंबर–

Form No.

चमन लाल महाविद्यालय (स्वायत्त), लण्ढौरा, हरिद्वार-247664

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALYA (AUTONOMOUS), LANDHAURA, HARIDWAR-247664

प्रवेश हेतु आवेदन पत्र (2025-26)
Application Form for Admission

Please affix self attested recent Colored Photograph

नोट (Note): जहाँ पर लागू हो बॉक्स में सही का चिन्ह (✓) लगाएं। (Which is applicable please TICk mark (✓) in the box.

1. (क) प्रवेश हेतु कक्षा का नाम : ....
   (a) Name of Class : UG ☐ PG ☐ Diploma/Certificate ☐
   (ख) सेमेस्टर/वर्ष (b) Semester/Year : ....

2. विषय : स्नातक ☐ स्नातकोत्तर ☐ अन्य ☐ आवेदित विषय समूह स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए (वरीयता क्रम में)
   Subject : UG ☐ PG ☐ Other ☐ Subjects applying for UG/PG Classes (in order of Preferences)
   1: ....
   a) 1.................................... 2.................................... 3....................................
   b) 1.................................... 2.................................... 3....................................
   c) 1.................................... 2.................................... 3....................................

3. छात्र / छात्रा की आधार संख्या (Student's Aadhaar No.) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

4. प्रवेशार्थी का पूरा नाम (हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) Full name of Applicant (as per High School Certificate)
   हिन्दी में (In Hindi) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐
   अंग्रेजी में (In English) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5. जन्म तिथि (अ) अंकों में Date of Birth(a) in figures ☐☐ Date ☐☐ Month ☐☐☐☐ Year
   (ब) शब्दों में...
   (b) in words: ....

6. आयु (01 जुलाई 2024 को):
   Age on (01-July-2024) : ....

7. लिंग (Sex) : पुरूष (Male) ☐ महिला (Female) ☐ ट्रांसजेन्डर (Transgender) ☐

8. पिता का नाम: .... माता का नाम: ....
   Father's Name: .... Mother's Name:...
   (Mobile No.)... (Mobile No..
   ई-मेल (e-mail) ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐ अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

9. धर्म (Religion): हिन्दू (Hindu) ☐ मुस्लिम (Muslim) ☐ सिख (Sikh) ☐ ईसाई (Christian) ☐
   बौद्ध (Buddhist) ☐ जैन (Jain) ☐ अन्य (Other) ☐

10. माता/पिता का स्थायी पता : ....
    Permanent Address of Mother/Father: ....

11. स्थानीय अभिभावक का नाम : ....
    पता व फोन नं० : ....
    Name of Local Guardian: .... छात्र/छात्रा से सम्बन्ध (Relation): ....
    Address & Phone No. : ....
    नोट (Note): छात्र/छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अपना मोबाइल नंबर परिवर्तित न करें। (Students Please do not Change your Mobile No.)

12. (i) वर्ग Category : सामान्य वर्ग (Gen) ☐ पिछड़ी जाति (OBC) ☐ अनुसूचित जाति (SC) ☐ ☐ अनुसूचित जनजाति (ST)
    (ii) उपवर्ग Subcategory : ☐ दिव्यांग (PWD) ☐ मुस्लिम (Muslim Minority) ☐ अन्य अल्पसंख्यक (Other Minority)
    (iii) अन्य Other : ☐ पूर्व सैनिक (Defence) ☐ बी.पी.एल. (BPL) ☐ ए.पी.एल. (APL)

13. राष्ट्रीयता: (अ) भारतीय (राज्य का नाम) Nationality: (a) Indian (Name of the State ☐
    (ब) विदेशी (देश का नाम) (b) Foreigner (Name of the Country) ☐

14. वैवाहिक स्थिति (Marital Status): (अ) अविवाहित (Unmarried) ☐ (ब) विवाहित (Married) ☐

15. माता/पिता की मासिक आय : ....
    Monthaly income of Mother/Father

16. वर्ग : कला विज्ञान वाणिज्य बी.एससी. (गृह विज्ञान) बी.एससी. (कृषि) बी.लिब.

17. कार्यालय के उपयोग हेतु (सभी कॉलम अंकों के आधार पर भरें)

अधिमान	NCC	NSS	Games	Other	Marks in pre exam.	Total

अधिमान	GAP	Change of Faculty	Other	Total

Grand Total -	Deduction =	Net Total

18. विगत परीक्षाओं का विवरण स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तथा चरित्र प्रमाण-पत्र मूल रूप में एवं विभिन्न परीक्षाओं के अंकपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ अनिवार्य रूप से संलग्न करें। अपूर्ण आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

(Details of the previous Examinations (Original Transfer and Character certificate along with self attested copies of mark sheet must be enclosed with the application form. Incomplete forms shall not be entertained)

क्र.सं. S.No.	परीक्षा का नाम Name of Exam.	वर्ष Year	बोर्ड/संस्थान Board/University	विषय Subjects	श्रेणी Division	कुल अंक Total marks	प्राप्तांक Marks Obtained	प्रतिशत %
1.	हाईस्कूल/High School							
2.	इण्टरमीडिएट/Intermediate/ Senior Secondary							
3.	बी.ए./बी.कॉम./बी.लिब./बी.एससी. B.A./B.Com./B.Lib./B.Sc.-I							
4.	बी.ए./बी.कॉम./बी.लिब./बी.एससी. B.A./B.Com./B.Lib./B.Sc.-II							
5.	बी.ए./बी.कॉम./बी.लिब./बी.एससी. B.A./B.Com./B.Lib./B.Sc.-III							
6.	एम.एससी./एम.ए./एम.कॉम. प्रथम/एम.लिब.							
7.	अन्य/Other							

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सभी विवरण मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही हैं। मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि जब तक मैं इस महाविद्यालय का विद्यार्थी रहूँगा/रहूँगी, तब तक समस्त नियमों का पालन करूँगा/करूँगी। मैं यह घोषणा भी करता/करती हूँ कि मैं किसी अन्य संस्थान का नियमित छात्र/छात्रा नहीं हूँ। यदि नियम पालन एवं सूचनायें देने में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसका उत्तरदायित्व मेरा होगा। कालेज द्वारा जो भी कार्यवाई की जायेगी वह मुझे व मेरे अभिभावक को मान्य होगी।

I hereby declare that all the particulars given in this application are correct to the best of my knowledge and belief. I also declare that I shall abide by all the rules and regulations of the college till such time as I remain student in the college. I also declare that I am not a regular student of any other institution/college. I shall be responsible for the information furnished by me and following the rules of the college.

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर
(Signature of Applicant)

अभिभावक के हस्ताक्षर
(Signature of Guardian)

संलग्नकों का विवरण 1) .... 2) .... 3) .... 4) .... 5) ....

Details of Enclosures: 6) .... 7) .... 8) .... 9) .... 10) ....

11) .... 12) ....13) ....14) ....15) ....

चेक लिस्ट (अनिवार्य प्रमाण-पत्र)

1. हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र	☐
2. इण्टरमीडिएट अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र	☐
3. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)	☐
4. चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप)	☐
5. एण्टी रैगिंग शपथ-पत्र (छात्रा एवं अभिभावक द्वारा अलग-अलग)	☐
6. आरक्षित वर्ग का प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	☐
7. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण-पत्र (यदि लागू हो)	☐
8. पुलिस सत्यापन (अन्य राज्यों के छात्र-छात्राओं के लिए)	☐
9. दस रुपये के स्टाम्प पर शपथ-पत्र (अन्य किसी स्थान पर प्रवेश नहीं लिया है)	☐
10. इंटरमीडिएट के पश्चात पढ़ाई में गैप होने संबंधी शपथ-पत्र	☐
11. एन.सी.सी./एन.एस.एस./रोवर्स-रेंजर्स/स्पोर्ट्स या अन्य विशेष उपलब्धि का प्रमाण-पत्र (यदि कोई हो	☐
12. आधार कार्ड।	☐
13. दो पोस्ट कार्ड स्वयं का पता लिखे हुए।	☐
14. अन्य	☐

जाँचकर्ता के हस्ताक्षर (कार्यालय लिपिक)

प्रवेश समिति का निर्णय **(Decision of Admission Committee)**

छात्र/छात्रा कु./श्री...को कक्षा..........................वर्ष.....................में निम्नलिखित विषयों सहित प्रवेश की संस्तुति की जाती है।

बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी/बी लिब/एम.ए./एम. लिब.एम.एससी 1.. 2.................................. 3....................................

I hereby declare that Km./Mr./Sri...has been able to get admission in the class...

year...in the following subjects.

B.A./B.Com./B.Sc./B.Lib./M.A./M.Lib./M.Sc/योगाचार्य 1... 2...................................... 3.................................

दिनांक
Date ....

संयोजक प्रवेश समिति
Convenor Admission Committee ....

प्राचार्य
Principal ....

कार्यालय उपयोग हेतु **(For Office Use)**

शुल्क रसीद संख्या (Fee Receipt No.)....................................... परिसर शुल्क खाता संख्या/नगद (College Fee A/C No./Cash)..

दिनांक (Date)................................ कक्षा (Class).......................... कुल प्राप्त शुल्क की धनराशि (Total Amount of fee)...

(शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर)
(Signature of Clerk)

Form No.

चमन लाल महाविद्यालय (स्वायत्त), लण्ढौरा, हरिद्वार-247664

CHAMAN LAL MAHAVIDHYALYA (AUTONOMOUS), LANDHAURA, HARIDWAR-247664

पुस्तकालय आवेदन पत्र
Application For Library
सत्र 2025-2026

Please affix self attested recent Colored Photograph

1. आवेदक का नाम (Name of the Applicant) : ....
   (i) हिन्दी में (In Hindi) : ....
   (ii) अंग्रेजी में (In English) : ....
2. पिता का नाम (Father's Name) : ....
3. माता का नाम (Mother's Name) : ....
4. दूरभाष नं० (Telephone No.) : ....
5. कक्षा (Class) : ....
6. छात्र को आवंटित विषय (अनुवर्ग) (UG) 1.................. 2.................. 3..................
   (Subject Allotted) (PG) 1.................. 2.................. 3..................

घोषणा (Declaration)

मैंने संस्थागत छात्र के रूप में सत्र 2025-26 में चमन लाल महाविद्यालय परिसर में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। मैं पुस्तकालय के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा/करूँगी तथा महाविद्यालय के पुस्तकालय की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाऊंगा/पहुँचाऊंगी।

I have been admitted as regular student in the college in session 2025-2026. I shall follow the rules of library and shall not make any damage to the property of the college.

....	....	....
छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर	पिता/माता के हस्ताक्षर	स्थानीय संरक्षक के हस्ताक्षर
Sig. of Student	Father/Mother Sig.	Sig. of Local Guardian

कार्यालय उपयोग हेतु
(For OfficeUse Only)

नाम Name.................................. कक्षा Class.................. विषय Subject..................................

शुल्क रसीद संख्या Fee Receipt.................. दिनांक Date.................. को प्रवेश दिया गया has been admitted.

शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर (Sig. of Clerk)

पुस्तकालयाध्यक्ष (Sig. of Librarian)

नोट Note :

1. पुस्तकालय आवेदन पत्र शुल्क रसीद के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
   It is mandatory to produce fee receipt along with library application form for making library ID Card.
2. पुस्तकालय उपयोग के लिए छात्र को अपना परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य है। बिना वैध परिचय पत्र के पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित है।
   It is mandatory to bring ID Card for using the library facilities. No student will be allowed in the library without valid identity card.

चमन लाल महाविद्यालय (स्वायत्त), लण्ढौरा, हरिद्वार-247664

पुस्तकालय उपयोगार्थ नियमावली

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा को पुस्तकालय से पुस्तकें समय-सारणी के अनुसार 15 दिन के लिए आवंटित होंगी, अगर कोई छात्र/छात्रा निर्धारित अवधि तक पुस्तकालय में पुस्तकें वापस नहीं करता / करती है तो उसे प्रति दिन 10 रूपया विलम्ब शुल्क के रूप में अर्थदण्ड देना होगा।
2. पुस्तकें निम्नांकित संख्या के अनुसार आवंटित की जायेगी :

   अ) कला / विज्ञान स्नातक के छात्र / छात्रा को दो पुस्तकें तथा वाणिज्य स्नातक को दो पुस्तकें।

   ब) कला / विज्ञान / वाणिज्य स्नातकोत्तर के छात्र / छात्रा को दो पुस्तकें।

   स) व्यावसायिक पाठ्यक्रम के छात्र / छात्राओं को दो पुस्तकें।
3. छात्र / छात्राओं को पाठ्य सामग्री का आवंटन निर्देशित समय सारणी के अनुसार ही किया जायेगा।
4. संदर्भ सामग्री तथा अध्ययन कक्ष सामग्री का उपयोग पुस्तकालय के अन्दर ही किया जायेगा, पुस्तकालय से बाहर के लिए इसे आवंटित नहीं किया जायेगा।
5. आवंटित पुस्तकालय सामग्री को अन्य पाठकों की आवश्यकता के अनुसार कभी भी वापस पुस्तकालय में जमा करने को कहा जा सकता है। महाविद्यालय परीक्षाओं से पूर्व पुस्तकालय की समस्त सामग्री वापस करना अनिवार्य होगा।
6. आवंटित पुस्तकों की सुरक्षा का पूर्ण दायित्व प्राप्तकर्ता छात्र का होगा। अत: आवंटित हो रही पुस्तकों की पूर्ण जाँच कर छात्र सन्तुष्ट हो लें। पुस्तकें खो जाने पर या फट जाने पर नवीन संस्करण या पुस्तक का वर्तमान मूल्य+50/- रूपये (सरचार्ज+डाक खर्च) की धनराशि पुस्तकालय में जमा करना होगा।
7. पुस्तकालय नियमों / व्यवस्था के विरूद्ध आचरण करने पर पुस्तकालय समिति को अधिकार होगा कि वह पाठक को पुस्तकालय उपयोग से वंचित कर दे या महाविद्यालय प्रशासन को अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जायेगा।
8. अदेय प्रमाण-पत्र के इच्छुक छात्र / छात्राओं को आवेदन पत्र पुस्तकालय में जमा करने के दूसरे दिन अदेय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।
9. जिन छात्र / छात्राओं को विभागीय पुस्तकालय से पुस्तकें आवंटित की जाती हैं उन्हें नियम-1 के अनुसार पुस्तकें आवंटित करना सम्भव नहीं होगा।
10. व्यक्तिगत किताबें अध्ययन हेतु पुस्तकालय में लाना वर्जित है।
11. महाविद्यालय में प्रवेश पाने के बाद एक माह के अन्दर सम्बन्धित छात्र / छात्रा अपने दो पुस्तकालय-पत्रक प्राप्त करें। उसके उपरान्त पुस्तकालय-पत्रक निर्गत नहीं किये जायेंगे।
12. प्रत्येक विद्यार्थी को एक समय में पुस्तकालय द्वारा दो पुस्तकालय-पत्रक निर्गत किये जाते हैं। पुस्तकालय-पत्रक खो जाने की दशा में लिखित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के दो सप्ताह बाद नये पत्रक 25/- रूपये प्रति पत्रक तथा 100/- रूपये अर्थदण्ड के रूप में जमा करवाने के बाद ही निर्गत किये जायेंगे। यदि खोये गये पत्रक पर पुस्तक निर्गत करवायी गयी होगी तो उसका दायित्व सम्बन्धित छात्र / छात्रा का ही होगा।
13. किसी अन्य छात्र / छात्रा को पुस्तकालय-पत्रक पर किसी दूसरे छात्र / छात्रा को पुस्तक निर्गत नहीं की जायेगी, यदि कोई छात्र / छात्रा ऐसा करता पाया गया तो दोनों के पुस्तक-पत्रक निरस्त कर दिये जायेंगे।

   मैंने पुस्तकालय सम्बन्धी नियमावली को पूर्णतया पढ़ और समझ लिया है, इसके अतिरिक्त पुस्तकालय व्यवस्थार्थ समय-समय पर निर्गत अन्य सूचनाओं /निर्देशों का पूर्ण सत्यनिष्ठा से पालन करूँगा / करूँगी।

   अत: पुस्तकालय उपयोगार्थ मुझे अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अभिभावक के हस्ताक्षर .... छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर ....

स्थायी पता .... पूरा नाम ....

....

पता एवं फोन नं० ....

महाविद्यालय की गतिविधियां

महाविद्यालय की गतिविधियां

CHAMAN LAL MAHAVIDYALYA

(AUTONOMOUS)

Prospectus

Landhaura Distt. Haridwar (Uttarakhand) - 247664
(Affiliated to Shri Dev Suman Uttarakhand Vishwavidyalya, Badshaithol, Tehri - Garhwal)
Mob. : 7001605489, 9997998050
E-mail : cldegree21@gmail.com, Website : www.cldcollege.com

Priti Printing Press#9837488581